खतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3369/2005/अलवर रामसहाय बनाम मु0 सुक्ली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य उपस्थितः- रेखा गोयल, अधिवक्ता प्रार्थी। श्रीमति पूनम माथुर, अधिवक्ता अप्रार्थी। -- निर्णय दिनांकः 12.02.19 यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं0 17/2001 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 15-04-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने अपील अबेट होने जाने से अपील को खारिज कर दिया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा सं0 133, 162, 169 व 176 ग्राम बहाली तहसील राजगढ़ के फूल्या पुत्र मूला एवं रामसहाय पुत्र सम्पतियां निस्फ निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार है किन्तु फूल्या के देहान्त के बाद उसके वारिसान जो प्रतिवादीगण है, ने पटवारी हलका से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर समस्त आराजी अपने नाम करवा ली। अतः उन्हें विवादित आराजी के निस्फ भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त दावे को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10-01-97 द्वारा वादी व प्रतिवादीगण को 1/2-1/2 भाग का	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3369/2005/अलवर रामसहाय बनाम मु0 सुक्ली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-07-97 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-01-97 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त निर्णय की अनुपालना में दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25-01-2001 द्वारा पूर्व में पारित निर्णय 10-01-97 में संशोधन करते हुए इस आशय की डिक्री पारित की कि वादी को विवादित आराजी के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 2/3 भाग का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15-04-2005 द्वारा इस आधार पर खारिज किया कि नियत अवधि में मृत व्यक्तियों के वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिए जाने से अपील स्वतः अबेट हो जाती है। उक्त निर्णय से अप्रन्न होकर यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते तर्क दिया कि अप्रार्थी रामजीलाल द्वारा प्रा0 पत्र 28-02-2005 को पेश कर निवेदन किया था कि अप्रार्थी मोती, रघुनाथ, बाबूलाल का देहान्त हो गया है जिसमें उन्होंने मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की किन्तु प्रार्थी ने उक्त पत्र की जानकारी होने पर दिनांक 11-03-2005 से प्रा0 पत्र कायम	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3369/2005/अलवर रामसहाय बनाम मु0 सुक्ली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकाम पेश कर दिया था जो कि जानकारी की दिनांक 11-03-2005 से प्रा0 पत्र कायम मुकाम पेश कर दिया था जो कि जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद था, ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय को नरम रूख अपनाते हुए न्यायहित में कायम मुकाम को अभिलेख पर लेकर अपील को गुणावगुण पर तय करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि आदेश 22 नियम 10 ए सी0पी0सी0 के तहत अप्रार्थी ने देहान्त बाबत् कोई सूचना नहीं दी जबकि उसका यह दायित्व था कि वह न्यायालय को इस बाबत् सूचित करता किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने मात्र यह मानकर की मृतक एवं प्रार्थी एक ही गांव के एवं परिवार के सदस्य है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को थी, उक्त निष्कर्ष गलत है, क्योंकि प्रार्थी ग्रामीण क्षैत्र का अनपढ़ गरीब व्यक्ति है, जिसे कानून की बारिकियों की जानकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अपील न्यायालय ने इस बात गौर नहीं किया कि प्रार्थी विवादित भूमि के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज है, ऐसी स्थिति में तकनीकी आधार पर उसे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर अपना निर्णय पारित किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने 2013(3) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1212, 2017 (1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 276, 2017 (1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 279, 2015 (4) डीएनजे (राज0) पेज 1465, 2015 (4) डीएनजे0 (राज0) पेज 1468 के न्यायिक दृष्टांतों का सहारा लिया। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपील न्यायालय का	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3369/2005/अलवर रामसहाय बनाम मु0 सुक्ली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र बाबत् कायम मुकाम स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावें कि वे मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लेकर अपील का निर्णय गुणावगुण करें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि कायम मुकाम बनाने का प्रा0 पत्र जो दिनांक 28-02-2005 को पेश किया गया, वह अवधि बाहर था, क्योंकि मोती,रघुनाथ,बाबूलाल की मृत्यु दो साल पूर्व हो गई थी। वारिसान को अभिलेख पर लेने की अवधि 90 दिवस की है, इस अवधि में प्रा0 पत्र पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अपील स्वतः अबेट हो जाती है। उनका यह भी तर्क था कि अबेटमेंट को निरस्त करने व देरी को क्षम्य करने का प्रा0 पत्र पेश नहीं किया गया। प्रार्थी व मृतक एक ही खानदान के है तथा वह उनके दाह संस्कार में शामिल रहा है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उसे उनकी मृत्यु की जानकारी नहीं रही है। उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, अतः निगरानी खारिज की जावें। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने माननीय सुर्प्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील सं0 1166/2006 में पारित निर्णय की प्रति, ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 पेज 2907, (1997) 7 सुर्प्रीम कोर्ट केसेज पेज 556 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक	

खतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3369/2005/अलवर रामसहाय बनाम मु0 सुक्ली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अध्ययन किया तथा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया। अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण ने एक प्रा0 पत्र दिनांक 28-02-2005 पेश कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण मोती पुत्र फूला, रघुनाथ पुत्र रामकंवार व बाबूलाल पुत्र रामदेवा की मृत्यु हो गई है, अतः अपील अबेट की जावें, जिस पर अधीनस्थ अपील न्यायालय ने बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15-04-2005 में माना कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी एक ही परिवार के है तथा गांव भी एक ही है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण की मृत्यु की जानकारी प्रारम्भ से होना माना जाएगा तथा अपीलार्थी ने प्रा0 पत्र दिनांक 28-02-2005 का जवाब भी नहीं दिया व अबेटमेंट निरस्त करवाने का प्रा0 पत्र भी पेश नहीं किया एवं देरी क्षम्य किए जाने का प्रा0 भी पेश नहीं किया है, ऐसी स्थिति में नियत अवधि में मृत व्यक्तियों के वारिसान को अभिलेख पर नहीं लेने से अपील स्वतः अबेट हो जाने के कारण खारिज की जाती है। हमारी राय मे अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा अपील को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था वरन् न्यायहित में अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए था, क्योंकि राजस्व प्रकरणों से संबंधित पक्षकारान ग्रामीण व अनपढ़ भी होते है, इस कारण वे कानून की बारिकियों से अनभिज्ञ होते है, ऐसी स्थिति में तकनीकी बिन्दू के आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सूचना न्यायालय को दिए जाने व कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु अधिवक्ता	

खतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3369/2005/अलवर रामसहाय बनाम मु0 सुक्ली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अपने पक्षकार को निर्देशित किया गया हो ऐसा कोई तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः निगरानी को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। फलस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-04-2005 निरस्त किया जाता है व प्रार्थी द्वारा अपील सं0 17/2001 में प्रस्तुत प्रा0 पत्र बाबत् कायम मुकाम स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ अपील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लेकर उभय पक्ष की बहस सुनकर अपील पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	